

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 1715 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 22/02/2023,।

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

- :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेय-ब्यारा (मगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग हेतु 3.33 हे० वन भूमि का गैर वनिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
- :- आपका पत्रांक-2565/FP/UK/ROAD/34354/2018, दिनांक 25.04.2022 एवं प्रमाणीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक-1910/12-1, दिनांक-18.01.2023,।

उपरोक्त विषयक पत्र में इंगित कमियों का निराकरण कर प्रमाणीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के अपने सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की जा रही है

प्रस्ताव में कमियों का विवरण	निराकरण
वार्त संख्या 3 (ख) के अनुपालन में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित ग्राम मुत्सी सिविल खसरा नं० 12, 134, 135, 204, 205, 525 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं रूपांतरण के मूल अमिलेख संलग्न किये जाय। उक्त सिविल भूमि को Guideline Para 2.4 (i) के अनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की सूचना भी प्रेषित की जाये।	अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-872/X-3-22/1(53)/2019 दिनांक-16.09.2022 के द्वारा ग्राम-मुत्सी, पट्टी-सकलाना तहसील-धनोस्टी की सिविल भूमि खसरा नं० 42, 134, 135, 204, 205, 525 को संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित ग्राम मुत्सी सिविल खसरा नं०-42, 134, 135, 204, 205, 525 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं रूपांतरण के अमिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्न-01)
वार्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी स्तर का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाये।	अवगत कराया गया है कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर उपरान्त मूल प्रति सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-02)
वार्त संख्या 6 के अनुपालन में प्रकरण में सभी निधियां (एन०पी०वी० एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण) की धनराशि क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा धनराशि के ऑनलाईन चालान की प्रति भी संलग्न की जाये।	अवगत कराया गया है कि सभी निधियां (एन०पी०वी० एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण) की धनराशि क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा धनराशि के ऑनलाईन चालान की प्रति भी मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-03)

1 के अतिरिक्त प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल के यम से भी इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना शक है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ब्या ऑनलाईन पोर्टल पर यथास्थान Upload ते हुये ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को त करने का कष्ट करें।

अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव विभाग के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन पोर्टल पर यथास्थान Upload कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार :-

मवदीय


(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

दिनांकित।

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेली को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-२
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 1882/पी०-सि०ख०-२/
सेवा में,

दिनांक-03/11/2022

- 1-प्रमागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनीकीरेती।
- 2- प्रमागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग किमी० 5.00 (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध (Online proposal no. FP/UK/ROAD/34354/2018)

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रमागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती का पत्रांक सं०- 1429/12-1 दिनांक 23.11.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत है -

S.N.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	शर्त संख्या 01- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2.	शर्त संख्या 02- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपी जा चुकी है। (अधिसूचना छायाप्रति संलग्न)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण शर्त संख्या 03- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.66 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम-मुत्सी सिविल सोयल भूमि खसरा नं०- 42, 134, 135, 204, 205, 525 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	शर्त संख्या 3(क) के अनुपालन में प्रमागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती द्वारा निर्गत पत्र संख्या 837/12-1 नई टिहरी, दिनांक 29/09/2022 संलग्न है।
	शर्त संख्या 03- (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य सरकार वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईडलाईन्स पैरा-2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 03- (ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किया जा चुका है। (अधिसूचना छायाप्रति संलग्न)

	शर्त संख्या 03— (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त संख्या 03— (ग) के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।
4.	शर्त संख्या 04— (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 4.722 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या 04— (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के तहत 3.33 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य धनराशि रु0 2187810.00, दिनांक 21.01.2021 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। (भुगतान छायाप्रति संलग्न)
5.	शर्त संख्या 04— (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या 04— (ख) के अनुपालन में संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	शर्त संख्या 05— प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार मसूरी वन प्रभाग में 10 वृक्षों एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती में 03 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों के कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों के कटाई की लागत जमा कर दी जाएगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
6.	शर्त संख्या 06— परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा की जा चुकी है। (भुगतान छायाप्रति संलग्न)
7.	शर्त संख्या 07— State Gov. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state gov. will strictly monitor and ensure that no further activity carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	No permission has been given by the state government. (Certificate Attached)
8.	शर्त संख्या 08 — एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या 08 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
9.	शर्त संख्या 09— संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जाएंगे।	शर्त संख्या 09 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जाएंगे। (प्रमाणपत्र संलग्न)

	शर्त संख्या 10— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उक्त परियोजना हेतु लागू नहीं है। (प्रमाणपत्र संलग्न)
11.	शर्त संख्या 11— केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। (प्रमाणपत्र संलग्न)
12.	शर्त संख्या 12— वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 12 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। (प्रमाणपत्र संलग्न)
13.	शर्त संख्या 13— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकडी, विषेशतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकडी, विषेशतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। (प्रमाणपत्र संलग्न)
14.	शर्त संख्या 14— संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। (प्रमाणपत्र संलग्न)
15.	शर्त संख्या 15— परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। (प्रमाणपत्र संलग्न)
16.	शर्त संख्या 16— इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तन की अवधि को अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न)
17.	शर्त संख्या 17— वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। (प्रमाणपत्र संलग्न)
18.	शर्त संख्या 18— केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तानांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या 18 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तानांतरित नहीं की जाएगी। (प्रमाणपत्र संलग्न)
19.	शर्त संख्या 19— इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या 19 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। (प्रमाणपत्र संलग्न)
20.	शर्त संख्या 20— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। (प्रमाणपत्र संलग्न)
21.	शर्त संख्या 21— प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्वरक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में मलबा निस्तारण प्रमाणपत्र संलग्न है।

	थास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
22.	शर्त संख्या 22— यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या 22 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। (प्रमाणपत्र संलग्न)
23.	शर्त संख्या 23— अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है, एवं निवेदन है कि फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग किमी० 5.00 (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर खण्ड को सूचित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-२
नई टिहरी

पत्रांक:- 1882/पी०-सि०ख०-२/ /तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फोरेस्ट कालोनी देहरादून।
2. सहायक अभियन्ता- प्रथम, पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०-२ नई टिहरी।

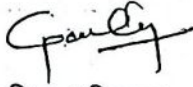
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-२
नई टिहरी

21/11/2024 - 01

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्गके नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर संबन्धित वनभूमि के विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3
संख्या 77/X-3-22/1(53)/2019
देहरादून दिनांक 16 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल में फुलेथ-वारा (भगदारीखाल) से भुत्सी गोंदर मार्ग के हस्तान्तरित कुल 3.33 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति न्यायमण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की शर्णी 9(3)ड० (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 6.668 है० क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	टिहरी गढ़वाल	भुत्सी	सकलाना	धनोल्ती	08	42	1.350	उत्तराखण्ड सरकार वन 9(3)ड०
						134	1.100	
						135	2.320	
						204	0.156	
						205	0.696	
						525	1.046	
						योग :-	6.668	

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार को अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°12' 04.13" E	30°23' 49.16" N
2	78°12' 11.48" E	30°23' 45.21" N
3	78°12' 18.4" E	30°23' 45.61" N
4	78°12' 20.62" E	30°23' 42.47" N
5	78°12' 27.16" E	30°23' 45.29" N
6	78°12' 28.53" E	30°23' 44.13" N
7	78°12' 20.93" E	30°23' 40.83" N
8	78°12' 11.23" E	30°23' 41.63" N
9	78°12' 2.31" E	30°23' 46.21" N

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

Signed by Vijay Kumar
Yadav

Date: 16-09-2022 13:14:01

संख्या:- ७72/X-3-22/1(53)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
7. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
9. उप जिलाधिकारी, धनोल्ती
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. ☒ गार्ड फाईल।

**Signed by Satya Prakash
Singh**

Date: 16-09-2022 13:27:26

आज्ञा से,

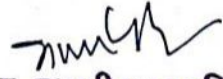
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

स्ताव का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकाराखण्ड जौनपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग किमी 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के एवज में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती चम्बा रेंज के अन्तर्गत 3.33 है० सिविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण कार्य किया जायेगा। साथ ही प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय सवदेशी प्रजातियों को रोपित किया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि नहीं की जायेगी।


वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज चम्बा


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनीकीरेती रेंज

कार्यालय— वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक— 78 / 12 दिनांक— 31 जुलाई 2021

E-mail: saklanarange111@gmail.com

सेवा में

अधिकासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड— 2, नई टिहरी।

विषय— जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ-क्यारा भगद्वारीखाल से भुत्सी मोटरमार्ग निर्माण हेतु 3.33 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— प्रीभागीय वनाधिकारी महोदय, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक— 28/12-1 दिनांक— 03-07-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ-क्यारा भगद्वारीखाल से भुत्सी मोटरमार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय
वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना राजि चम्बा

पत्रांक— — / 12 उक्तदिनांकित।

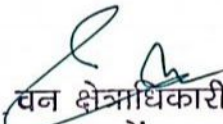
प्रतिलिपि:— प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

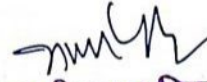
वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना राजि चम्बा

1. व का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग किमी 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

उक्त परियोजना के एवज में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती की चम्पा रेंज के अन्तर्गत 3.33 है० सिविल सोयम भूमि, ग्राम-भुत्सी पर प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य किया जायेगा। साथ ही यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज चम्पा


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वनप्रभाग,
मुनीकीरेती

शते हंसा - ५
४/१०/२०



PARIVESH
परिवेश

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India



"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single window Hub"

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

12:37:02 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposals received on or after 15th July 2014

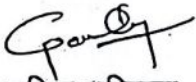


Sno.	Proposal Detail	Application No.	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	PAJK/ROAD/34354/2018 Fuleth-Kyara Motor Road Km 5.00 (Bhogdwan Khali) to bhurtsi Link Motor Road	ROAD343542018407	5134354407	09 Oct 2020	CA: 2245645/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 2157810/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4433455/-	PAID	Fund Demand Verified by : 10 Dec 2020 Modal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 10 Dec 2020 Transaction Date : 21 Jan 2021	Demand Letter Generated Challan
2	FPJK/ROAD/32509/2018 Construction of Berinag- Puranathal Motor Road to Chariana Pungarkholi Motor Road Under PMGSY	ROAD325092018668	5132609668	21 Jul 2020	CA: 380631/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 953278/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/-	PAID	Fund Demand Verified by : 27 Jul 2020 Modal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 28 Jul 2020 Transaction Date : 26 Aug 2020	Demand Letter Generated Challan

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्गके नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

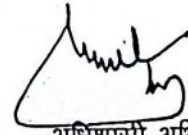
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के मांग के अनुसार किया जायेगा।



कनिष्ठा अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

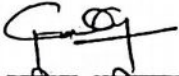


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्गके नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विधिमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल (10+3 मसूरी वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

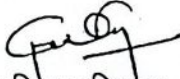


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर पेड़ों के छपान, कटान का आतिथि तक कोई आदेश नहीं दिया गया है। भविष्य में पेड़ों के छपान, कटान की अनुमति के एक वर्ष पश्चात ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, New Tehri

No. 5611

Dated 01/11/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA'; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 0.3825 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department, Uttarakhand (name of user agency) for Fuleth-Kyara Motor Road Km-5.00 (Bhagdwar/Khal) to Bhutsi Moptor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Bhutsi village(s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that:

1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3825 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to III annexure.
2. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
3. the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

श्री ५१०५

(Full name and official designation of the District Collector)

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, New Tehri

No. 761

Dated 01/11/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.3825 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department, Uttarakhand (name of user agency) for Fuleth-Kyara Motor Road Km-5.00 (Bhagdwarikhal) to Bhutsi Moptor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Bhutsi village (s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that:

1. The complete process for Identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3825 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to III annexure.
2. The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
3. The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bhutsi villages (s) is enclosed as annexure 30.3 to 30.4 annexure.
4. The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
6. The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A Meeting Of The District Level Committee Of DEHRADUN District Constituted Under FRA. 2006 Was Held Under the Chairmanship Of Mr. S. A. MURKESH, I.A.S District Magistrate, Dehradun On Dated 09/07/2017. At Time 11.00 AM. At New Terhi In Which Application Claiming Rights In Measuring 0.3825 Area Heet For The Construction Of Village Bhutsi Bhutsi Motor road From Fuleth - Kyra Motor Road Motor Road Forest Land Under FRA. 2006 Of The Following Applicant Duly Processed And Recommended By The Sub Division Level Committee Of New Terhi Sub-Division Were Discussed To Consider The Same For Admission By The District Level Committee.

After Scrutiny Of The Documents And Detailed Discussions, No Objection/Claims Were Found To Have Been Made & Hence District Level Committee Recommend The Above Case For Diversion Of Land For The Said Purpose.

Place: Dehradun

Dated: 01/07/2017


Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

It is further certified that Minutes of Meeting of Fuleth-Kyara Motor Road Km. 5.00 (Bhagdwarikhal) to Bhutsi Motor Road (Length: 7.55 Km.) regarding FRA is as following-
(Meeting date: 01/07/2017.....)

Sr. No.		Remarks
a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3825 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.....	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला सहायक सहायक अधिकारी
देहरादून

प्रमाणित अधिकारी
मसूरावाली प्रमगा, मसूरी

जिलाधिकारी
देहरादून

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी कि०मी० (0.775 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के देहरादून विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी (0.0270 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.3555 हे० सिविल एवं सोयम 0.000 हे० वन पचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.3825 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की दिनांक 12.04.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~प्र. 11-5-1111~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	उप जिलाधिकारी (सदर)
श्री विजय कृष्ण उप जिलाधिकारी देहरादून	अध्यक्ष	देहरादून
श्री के.पी.एस. उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
श्री मनिषी उमाश्याम सहायक समाज कल्याण	सदस्य/सचिव	सहायक निवासी
श्री जोषी पुल्पा देवी बी०डी०सी०	सदस्य	नरसिंह, नरसिंह

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.3825 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लुम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सामाजिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

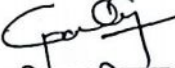
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के देहरादून विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.3825 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम वनाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

तहसीलदार (सदर)
देहरादून
निलिपि :- जिलाधिकारी देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - उप जिलाधिकारी (सदर)
जनपद - देहरादून
उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - उप जिलाधिकारी (सदर)
जनपद - देहरादून

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग सरक्षित/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज अनुपालन में लगा दिये जायेंगे।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

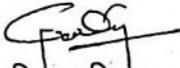

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अर्ति क्षीरपत्र - 10

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति

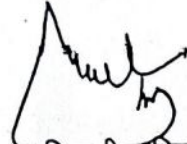
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति (यदि लागू हो) सलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

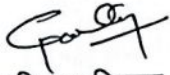


अधिशास्त्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ले-आउट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

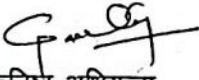


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

श्रमिक शिविर स्थापित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

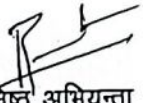


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।


कनिष्ठा अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

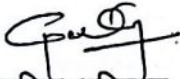

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिसासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्गके नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्गपर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

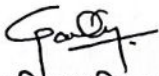


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन क्षेत्र के अन्दर नया व अतिरिक्त मार्ग न बनाये जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर नया व अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिसासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रामाण-पत्र (लागू नहीं है)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमिवर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

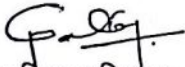


प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु न किये जाने प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

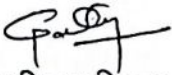


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि हस्तान्तरित न किये जाने प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर वनभूमि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



कनिष्ठा अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



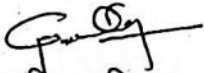
अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

शर्त ५-१०-१९

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

शर्त उल्लंघन न करने हेतु प्रमाण पत्र

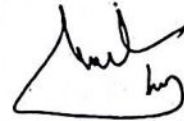
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश, फाईल सं०- 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



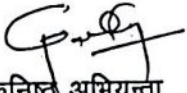
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अति दायित्व - 20

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगा।



कनिष्ठा अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

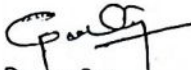


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्गके नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय देखरेख में अथवा प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो वनविभाग द्वारा किया जा सकता है, निर्दिष्ट के अलावा अन्यत्र नहीं फेंका जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

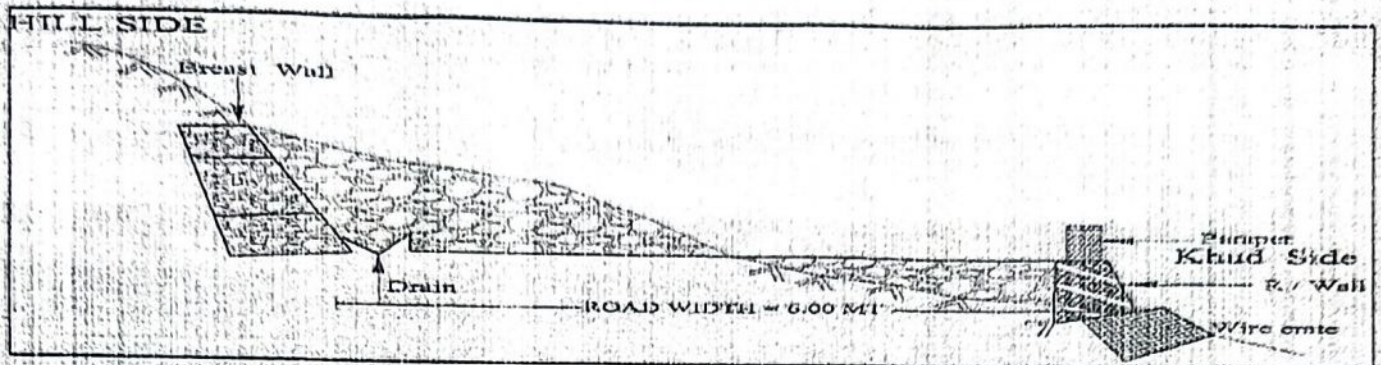


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगद्वारी खाल) से भूसी कि०मी० (0.775 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूसी हस्तान्तरण प्रस्ताव।



1	Material received form hill side cutting Material received form hill side cutting		135900.00	Cum
	1x1/2x6x6x7550	135900.00		Cum
	Add 10% For Swell Factor for Soil.	13590.00		Cum
	Total	149490.00		
Disposal and use of Material				
2	R.R. Stone Masonry Laid In 1:5	1x1x3500x(0.5+1.5/2)x3	10500.00	Cum
3	R.R. Stone Masonry Laid in Dry	1x1x2500x+x743281.35	10500.00	Cum
4	Hand Packed Stone Filling	1x1x6000x0.6	3600.00	Cum
5	Construction of Wire Create	1x1x826.88x6.75	5581.44	Cum
6	Making of Edge Stone	1x1x7550x0.016	120.80	Cum
7	Construction of Parapet	1x1x80x0.73	58.40	Cum
8	Construction Of Scupper	1x2x52x16.8	1747.20	Cum
9	Granular sub-base/base/surface	1x1x7550x4.05x0.1	3057.75	Cum
10	Material Used For Filling And Grade Maintaining, Job Pillar, Back Pillars, Reference Pillars		39162.41	Cum
	Total Used		74328.00	Cum
11	Material Disposal By Cartage		61572.00	Cum

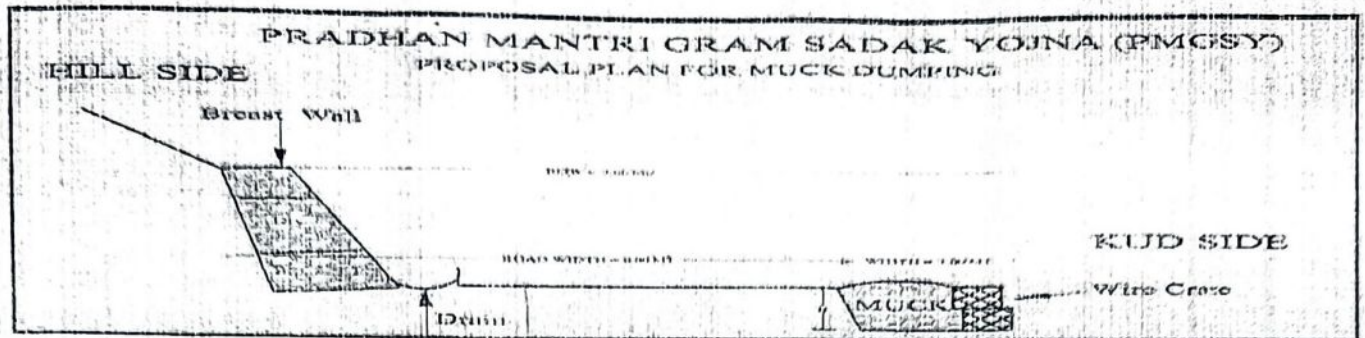
SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

S.No	Total Dabries	Material Disposal By Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries
1	135900.00	61572	74328.00	61572.00	0.00

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Div-2
New, Tehri

परियोजना का नाम :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (सगद्दारी खाल) से मुत्सी कि०मी० (0.775 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



Location & Quantity of dabies Disposal

Location of Dumping Yard	Size Of Dumping Yard	Type Of Land	Capacity of dumping yard (Cum)	Name Of Land Owner & Village	Land In Hect	Land Area Being Used For Duping Yard (Sqm)	Latitude	Longitude
0/40-1/1	114x7x6	Napland	4788.00	Attched	0.080	798.00	78° 11' 56.77" E	30° 23' 50.37" N
1/11-1/12	44x7x6	Napland	1848.00	Attched	0.031	308.00	78° 11' 57.84" E	30° 23' 50.58" N
1/17	111x7x6	Napland	4662.00	Attched	0.078	777.00	78° 12' 04.05" E	30° 23' 55.01" N
1/22	127x7x6	Napland	5334.00	Attched	0.089	889.00	78° 12' 00.86" E	30° 23' 46.02" N
1/36	36x7x6	Napland	1512.00	Attched	0.025	252.00	78° 11' 54.64" E	30° 23' 44.21" N
2/18	93x7x6	Napland	3906.00	Attched	0.065	651.00	78° 12' 00.86" E	30° 23' 46.02" N
2/26	30x7x6	Napland	1260.00	Attched	0.021	210.00	78° 12' 10.63" E	30° 23' 40.50" N
2/30	68x7x6	Napland	2856.00	Attched	0.048	476.00	78° 12' 17.92" E	30° 23' 39.79" N
2/38	20x7x6	Napland	840.00	Attched	0.014	140.00	78° 12' 31.78" E	30° 23' 42.34" N
3/20-21	121x7x6	Napland	5082.00	Attched	0.085	847.00	78° 12' 42.67" E	30° 23' 39.71" N
3/34-35	84x7x6	Napland	3528.00	Attched	0.059	588.00	78° 12' 45.55" E	30° 23' 39.24" N
3/38-39	79x7x6	Napland	3318.00	Attched	0.055	553.00	78° 12' 47.13" E	30° 23' 36.46" N
4/5-10	80x7x6	Napland	3360.00	Attched	0.056	560.00	78° 12' 58.92" E	30° 23' 35.57" N
4/13-14	63x7x6	Napland	2646.00	Attched	0.044	441.00	78° 13' 08.26" E	30° 23' 35.39" N
4/26-27	114x7x6	Napland	4788.00	Attched	0.080	798.00	78° 13' 19.11" E	30° 23' 37.23" N
6/8-9	171x7x6	Napland	7182.00	Attched	0.120	1197.00	78° 12' 31.78" E	30° 23' 42.34" N
6/37-38	111x7x6	Napland	4662.00	Attched	0.078	777.00	78° 12' 42.67" E	30° 23' 39.71" N
		Total	61572.000		1.026	10262.000		

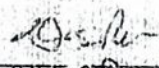
Assistant Engineer
R.M.G.S.M. Irrigation Divn-2
Naw Tehsil

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

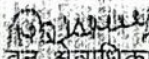
भक डम्पिक प्लान प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत प्राक्कलन फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में नाप भूमि में चैनल सं० 0/40-1/1,1/11-1/12,1/17,1/22, 1/36,2/18,2/26,2/30,2/38,3/20-21,3/34-35,3/38-39,4/5-10,4/13-14,4/26-27,6/8-9,6/37-38 जो की लगभग जिसमें 114x7x6,44x7x6,127x7x6, 127x7x6,36x7x6,30x7x6,30x7x6,68x7x6,121x7x6,121x7x6,84x7x6,80x7x6,80x7x6,63x7x6, 171x7x6,171x7x6,111x7x6 एवं मी० के डम्पिक जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित हैं। मलवा निस्तारण हेतु खड़ साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है। अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कहीं भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिरासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
भरसूरी रेंज
भरसूरी वन प्रभाग


सहायक वन क्षेत्राधिकारी
भरसूरी रेंज
भरसूरी वन प्रभाग


प्रभारित वन क्षेत्राधिकारी
भरसूरी रेंज
भरसूरी वन प्रभाग

का नाम :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जगन्नाथपुर के राजपुर विधान सभा क्षेत्र
फुलरा - बखरा मोटर मार्ग के कि०मी० ५.००० (पांच दशक का) से भुगतान कि०मी०
(०.७७६ कि०मी०) को भव निर्माण हेतु वग भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भूतला विस्तारण योजना व भूतलिका

परियोजना से उत्पादित मूल्यों के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मट
मन्त्रालय व उपचार योजना के प्रावधान सहित साजग की जा रही है।

क्र०स०	कार्य का	सकल	दर/ इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदवाना, भरण व अन्य कार्य, उचित प्रजातियों का रोपण	सकल	सकल	1.15
2	वनस्पतिक चेकडेम का निर्माण	सकल	सकल	
3	कटो बोरर चेकडेम का निर्माण	सकल	सकल	
4	आरआर डीड फुलिया	सकल	सकल	104.20
5	डोवाल/सन्ध अग्रियुक्त सूचकओं का निर्माण	सकल	सकल	
	योग:-			105.35
				13 17 1/2

ह०/-
प्रभारी वनाधिकारी

ह०/-
प्रभोक्ता एजेंसी

हस्ताक्षर
प्रभोक्ता एजेंसी

S/No	Item of Work	No	Length	Width	Height	Quantity	Unit
1	Excavation for Structures: - Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MORD specification.						
	0/40-1/1	1x1	114.00	1.50	0.30	51.30	Cum
	1/11-1/12	1x1	44.00	1.50	0.30	19.80	Cum
	1/17	1x1	111.00	1.50	0.30	49.95	Cum
	1/22	1x1	127.00	1.50	0.30	57.15	Cum
	1/36	1x1	36.00	1.50	0.30	16.20	Cum
	2/18	1x1	93.00	1.50	0.30	41.85	Cum
	2/26	1x1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
	2/30	1x1	68.00	1.50	0.30	30.60	Cum
	2/38	1x1	20.00	1.50	0.30	9.00	Cum
	3/20-21	1x1	121.00	1.50	0.30	54.45	Cum
	3/34-35	1x1	84.00	1.50	0.30	37.80	Cum
	3/38-39	1x1	79.00	1.50	0.30	35.55	Cum
	4/5-10	1x1	80.00	1.50	0.30	36.00	Cum
	4/13-14	1x1	63.00	1.50	0.30	28.35	Cum
	4/26-27	1x1	114.00	1.50	0.30	51.30	Cum
	6/8-9	1x1	171.00	1.50	0.30	73.95	Cum
	6/37-38	1x1	111.00	1.50	0.30	49.95	Cum
						659.70	Cum
2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge.						
	0/40-1/1	1x1	114.00	1.25	1.50	213.75	Cum
	1/11-1/12	1x1	44.00	1.25	1.50	82.50	Cum
	1/17	1x1	111.00	1.25	1.50	208.13	Cum
	1/22	1x1	127.00	1.25	1.50	238.13	Cum
	1/36	1x1	36.00	1.25	1.50	67.50	Cum
	2/18	1x1	93.00	1.25	1.50	174.38	Cum
	2/26	1x1	30.00	1.25	1.50	56.25	Cum
	2/30	1x1	68.00	1.25	1.50	127.50	Cum
	2/38	1x1	20.00	1.25	1.50	37.50	Cum
	3/20-21	1x1	121.00	1.25	1.50	226.88	Cum
	3/34-35	1x1	84.00	1.25	1.50	157.50	Cum
	3/38-39	1x1	79.00	1.25	1.50	148.13	Cum

	4/5-10	1x1	80.00	1.25	1.50	150.00	Cum
	4/13-14	1x1	63.00	1.25	1.50	118.13	Cum
	4/26-27	1x1	114.00	1.25	1.50	213.75	Cum
	6/8-9	1x1	171.00	1.25	1.50	320.63	Cum
	6/37-38	1x1	111.00	1.25	1.50	208.13	Cum
3	Construction of Coolie Walling For Making Of Dumping Yard					2748.75	Cum
4	Carriage Of Muck from Hill Side Cutting.	1x1	1466.00	0.5	0.6	439.8	Cum
						81572	Cum

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
 Assistant Engineer
 P.M.G. S.Y. Irrigation Divn-2
 New Tehri

क्र.सं.		कार्य विवरण	मात्रा	संख्या	दर	धनराशि		
1	प्रथम वर्ष	1- दीवालबन्दी 600X1-20X-45मी०	Cum	12.93	121	1564.48		
		2-गड्डे खुदान-30X-30X-45	No	193.75	347	67231.25		
		3- निरीक्षण वटिया बनाना	Rmt	193.75	8	1550.00		
		4-पौधों की कीमत	No	193.75	2.75	532.81		
		5-पौध दुलान कार्य (ट्रक में चढाना-उतारना -	No	193.75	47%	91.06		
2	द्वितीय वर्ष	6-1200 बैग पौध सरबोझ द्वारा दुलान 3.5 किमी० दूरी से	No	193.75	80%	155.00		
		7-ट्रक से दुलान/भाडा 75 कि०मी०	No	193.75	3.75%	7.27		
		8- रोपण कार्य करना	No	193.75	121%	234.44		
		9-बोर्ड बनाना,टाट पत्ली व हथियार तेज करना।	L/S	258.33		258.33		
		10-गड्डे भरान -30X30X-45	No	193.75	62%	120.13		
		पौध की कीमत	No	193.75	0.75	145.31		
		11-गड्डे में 2 किलोग्राम प्रति गड्डे के हिसाब से गोबर खाद डालना	Qtl	3.875	85	329.38		
		01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	7 माह	7	1000	7000.00		
		3	तृतीय वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
				01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
		4	चतुर्थ वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
5	पंचम वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	12 माह	12	1000	12000.00		
					योग	115219.45		
						1.15		


 Assistant Engineer
 P.M.C.S.Y. Irrigation Division
 New Tehri

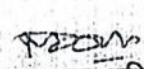

 Executive Engineer
 P.M.C.S.Y. ID-2
 New Tehri

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डम्पिक प्लान प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत प्राक्कलन फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में नाप भूमि में चैनेज सं० 0/40-1/1,1/11-1/12,1/17,1/22, 1/36,2/18,2/26,2/30,2/38,3/20-21,3/34-35,3/38-39,4/5-10,4/13-14,4/26-27,6/8-9,6/37-38 जो की लगभग जिसमें 114x7x6,44x7x6,111x7x6, 127x7x6,36x7x6,33x7x6,30x7x6,68x7x6, 20x7x6,121x7x6,84x7x6,39x7x6,80x7x6,63x7x6, 114x7x6,171x7x6,111x7x6 एवं मी० के डम्पिक जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित हैं। मलवा निस्तारण हेतु खड़ साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनामति भी प्रदान की गयी है। अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कहीं भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


जुंसी वन विभाग काजी
प्रमाणित

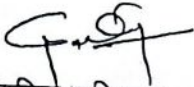

सुपर आयुक्त वन विभाग
जुंसी वन विभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अनुमति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौनपुर विकासखण्ड में फुलेथ-क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग पर यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी